

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या - 03/2015 के अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समय: 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	सोमवार 24.09.2018	200019, 200032, 200144, 200293, 200301, 200321, 200442, 200565, 200588, 200593, 200657, 200744, 200922, 200958, 200989, 201043, 201055, 201226, 201265, 201304	201369, 201370, 201464, 201489, 201505, 201547, 201604, 201614, 201628, 201738, 201757, 201760, 201798, 201840, 201847, 201994, 202000, 202020, 202027, 202044
2.	मंगलवार 25.09.2018	202069, 202074, 202075, 202093, 202253, 202372, 202478, 202493, 202545, 202603, 202635, 202671, 202689, 202774, 202852, 202873, 202903, 202907, 203008, 203025	203048, 203049, 203090, 203105, 203183, 203219, 203563, 203702, 203712, 203742, 203753, 203763, 203772, 203816, 203822, 203883, 203890, 203979, 204131, 204148
3.	बुधवार 26.09.2018	204158, 204169, 204428, 204438, 204458, 204750, 204775, 204810, 204826, 204831, 204995, 205100, 205112, 205154, 205169, 205174, 205203, 205301, 205366, 205430	205619, 205659, 205699, 205724, 205749, 205856, 205866, 206107, 206132, 206136, 206190, 206365, 206400, 206436, 206503, 206518, 206544, 206594, 206671, 206678
4.	गुरुवार 27.09.2018	206877, 206953, 207040, 207157, 207185, 207190, 207239, 207457, 207500, 207581, 207636, 207639, 207669, 208006, 208012, 208013, 208049, 208105, 208475, 208494, 208528, 208822	208923, 209068, 209119, 209328, 209478, 209608, 209659, 209724, 209855, 209985, 210069, 210136, 210204, 210243, 210378, 210565, 210633, 210652, 210862, 210889, 210930, 211035
5.	शुक्रवार 28.09.2018	211104, 211292, 211448, 211467, 211470, 211737, 212002, 212118, 212356, 212390, 212482, 212512, 212600, 212768, 213060, 213313, 213424, 213456, 213534, 213790, 213798, 214222	214310, 214321, 214443, 214643, 214730, 214865, 214903, 215053, 215135, 215141, 215306, 215399, 215643, 215887, 216057, 216149, 216599, 216649, 216681, 216691

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार द्वारा अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। उसी तिथि से वेबसाइट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र-1 भी उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।

3. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की 02 (दो) स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा:-

- | | |
|--|---|
| (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। | (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र। |
| (ii) स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। | (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र। |
| (iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र होने पर)। | (vi) निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र। |
| | (vii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)। |

नोट:- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम एवं पता से बना जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (16.03.2015) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

4. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा (महिला की स्थिति में पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।


(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा (महिला की स्थिति में पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।

(iii) विकलांग की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

सक्षम प्राधिकार के सम्बन्ध में कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के ज्ञापक 62, दिनांक 05.01.2007 द्वारा किया गया निर्धारण निम्नवत् है:-

“निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकार होगा। केन्द्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम मूक सदस्य/चलने फिरने की निःशक्तता/कम सुनाई देने की निःशक्तता, जैसे भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।”

5. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा-मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को आयोग परिसर में मोबाइल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक, गैजेट यथा ब्लू-टूथ, WiFi, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि लाना सख्त वर्जित है।
8. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।


11.5.18
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना